उ0 प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता (बारहवाँ संशोधन), 2018

सँख्या : उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग / सचिव / विनियम / आपूर्ति संहिता / 2018 / 2039

दिनांक : 15 / 03 / 2018

अधिसूचना

विविध

जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 एवं 183 के अनुसार तथा इसकी ओर से समस्त अन्य शक्तियों के आधीन उ0 प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता (ग्यारहवाँ संशोधन) दिनांक 17 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था तथा उनके संशोधनों और जबकि अनुज्ञतिधारियों द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता के कुछ प्राविधानों तथा उनके संशोधनों के अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उनके संशोधनों के लिये अनुरोध किया गया है।

और जबकि उपर्युक्त के परिणामस्वरूप तथा अन्य प्रमुख कारणों से आपूर्ति संहिता, 2005 के कुछ प्राविधानों तथा उनके संशोधनों को बदला जाना आवश्यक हो गया है।

अतः अब विद्युत अधिनियम की धारा 50 तथा आपूर्ति संहिता, 2005 तथा इसकी ओर से प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग आपूर्ति संहिता (बारहवाँ संशोधन), 2018 नाम से विद्युत आपूर्ति संहिता में निम्न संसोधन करता है :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रभावी होना** (1)यह संहिता विद्युत आपूर्ति संहिता (बारहवाँ संसोधन),2018 कहलायगी ।
2. यह इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी ।
3. अनुच्छेद 6.14(ii) के अन्तर्गत निम्नानुसार नया प्रावधान सम्मिलित किया जाता है।

(क) किश्तों में भुगतान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिये ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता (एल एम वी–1) प्रार्थना–पत्र देने से पूर्व वर्तमान मासिक बिल का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगा तथा अवशेष का कम से कम 10 प्रतिशत प्रार्थना–पत्र के साथ जमा करेगा तथा शेष बकाया की छः मासिक किश्तों में वसूली की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ख) ग्रामीण निजि नलकूप उपभोक्ता (एल एम वी–5) किश्तों में भुगतान की सुविधा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना–पत्र से पूर्व वर्तमान मासिक बिल जमा करेंगे तथा शेष का 20 प्रतिशत प्रार्थना–पत्र के समय तथा शेष बकाया राशि छः मासिक किश्तों में वसूल की जायेगी।

6.14 के उप अनुच्छेद (II) का प्रथम परन्तुक अन्य श्रेणी वर्ग के उपभोक्ताओं पर यथावत लागू रहेगा।

आयोग के आदेशानुसार

(संजय श्रीवास्तव)
सचिव

दिनांकः 15/03/2018

Uttar Pradesh

Electricity Supply Code (Twelveth Amendment), 2018

No.: UPERC/Secy/Regulations/Supply Code/2018/2039

Dated: 15.03.2018

Notification

Miscellaneous

Whereas the U.P. Electricity Supply Code 2005 (Eleventh Amendment) was notified on 17th January, 2018, in accordance with Sections 176 and 183 of Electricity Act, 2003 and all other enabling powers in this behalf;

And whereas, the licensees are facing difficulties in implementing some of the provisions of the Electricity Supply Code, 2005, and amendments thereof and have requested for some amendments in the Electricity Supply Code.

And whereas, as a result of the above, and for other substantial reasons, it has become necessary to amend certain provisions of the Supply Code, 2005 and amendments thereof;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 50 of the Electricity Act and the provisions of the Supply Code, 2005 and all other enabling powers in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following amendments in Electricity Supply Code as Electricity Supply Code (Twelveth Amendment), 2018.

1. **Short title and commencement -** (1) This Code shall be called the Electricity Supply Code (Twelveth Amendment), 2018.

   (2) It shall come into force on the date of issue of this notification.

2. Addition of new proviso under clause 6.14(ii) as follows:

"The above provision shall not be binding on the distribution licensee in case of Rural Domestic Consumers (LMV-1) and Rural PTW consumers (LMV-5) to whom the licensee may grant the installment facility as under:

(a) Rural Domestic Consumers (LMV-1) in order to avail the installment facility shall ensure payment of the current monthly bill before making an application and against arrears shall deposit at least 10% of the arrear at the time of application and balance amount of arrear may be allowed to be recovered in six monthly installments.

(b) Rural Private Tube Well Consumers (LMV-5), in order to avail the benefit of installments facility shall pay the current monthly bill before making an application and shall pay 20% of the arrears and balance amount of arrear may be recovered in six monthly installments.

The first proviso of sub clause (ii) of 6.14 shall continue to apply for other category of the consumers."

By the order of the Commission,

(Sanjay Srivastava)
Secretary

Dated: 15.03.2018